followed for recovery of STD PCO charges. If the charges are heavy, weekly billing may be resorted to by local telecome authority.

डाक कर्मचारियों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा

1723. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक कर्मचारियों को डाक-तार विभाग के चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधा मिल रही है; यदि हां, तो इन चिकित्सालयों में नाम क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) डाक-तार विभाग के सभी चिकित्सालयों में कर्मचारियों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) इस समय, डाक और दूरसंचार विभाग में कोई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं है। डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी, सामान्यतया, जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियां हैं, वहां उनका लाभ उठाते हैं। डाक और दूरसंचार की डिस्पेंसरियां केवल उन्ही स्थानों पर खोली गई हैं जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियां नहीं हैं और जहां डाक और दूरसंचार के कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। इस समय, डाक और दूरसंचार की डिस्पेंसरियों में डाक और दूर-संचार के कर्मचारियों का आयुर्वेदिक विधि से इलाज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसी सुविधा प्रदान करना किफायती नहीं होगा।

Special Stamps on Communal Harmony

1724. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether some special stamp on communal harmony was released on 19th November, 1995;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether some objective are to be achieved with the release of such special stamps; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) A definitive stamp and not a special stamp on Communal Harmony has been released on 19.11.95.

(b) to (d) The Department has decided on the advice of the Philatelic Advisory Committee to issue a stamp on Communal Harmony with the objective of strengthening the process of national integration among the various communities, religious groups through cooperation, by settlement of differences and disputes relating to religion, language and region and preserving and strengthening the freedom and integrity of the nation by peaceful and constitutional means. Definitive stamps which are used in much larger number than special stamps are more appropriate to spread such a message over a longer period of time.

Waiting list for telephones in Rajasthan and Orissa

1725. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the total number of persons in the waiting list for telephone connections in all the districts of Rajasthan as well as of Orissa States as on 1st December, 1995;

(b) by when all the persons in the waiting lists since 1991-92 are likely to be covered, particularly in Jaipur (Rajasthan) and Bhadrak (Orissa); and

(c) what is the number of telephone exchanges which have been converted into Electronic Exchanges so far since 1991-92 in the above mentioned States year-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The total number of persons in the waiting list as on 1-12-95 in Rajasthan and Orissa State are as under:

Rajasthan	Orissa
177534 (68892 for Jaipur)	13746 (46 for Bhadrak)

(b) DEL target of 45,800 has been set for Jaipur (Rajasthan) for 95-96 against the current waiting list of 68892. This is subject to timely availability of equipment and other resources. This shall cover most of the persons waiting since 91-92.

As far as Bhadrak (Orissa) is concerned, no person is waiting since 91-92 and telephones to all wait-listed persons are likely to be provided by March, 1996.

(c) Conversion of telephone exchanges into electronic Exchanges since 1991-92.

Year	Rajasthan	Orissa
1991-92	122	132
1992-93	301	201
1993-94	195	18
1994-95	156	9
1995-96 (Upto Nov. 95)	NIL	1

बिहार के मधुबनी जिले में पी०सी०ओ०/पे-फोन सेवा का आबंटन

1726. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में झंझारपुर टेलीफोन एक्सचेंज से जिन व्यक्तियों को पी०सी०ओ० पे-फोन कनैक्शन दिये गये हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये कनैक्शन उपरोक्त एक्सचेंज की क्षमता के अनुपात में दिये गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कनैक्शन देने में किसी प्रकार का आरक्षण दिया जाता है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कनैक्शन पाने वालों में अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों की संख्या क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, झंझारपुर एक्सचेंज, जिला मधुबनी, बिहार में जिन व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन और पे-फोन्स आबंटित किए गए हैं, उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिये)**।

(ख) जी हां। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, एक्सचेंज लाइनों को 5% तक की क्षमता सार्वजनिक टेलीफोन (ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों को छोड़कर) आबंटित करने के लिए आरक्षित रखनी अपेक्षित है। इस समय 440 लाइनों की एक्सचेंज क्षमता की तुलना में 19 सार्वजनिक टेलीफोन कार्यरत है।

(ग) जी नहीं। तथापि, नेत्रहीन व्यक्तियों, अनुसूचित-जाति/अनु० जन जाति के आवेदकों, भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं, दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों अथवा स्वतंत्रता सेनानियों तथा धमार्थ संस्थानों/अस्पतालों सहित विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) आवेदकों की श्रेणी के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।